2014 का विधेयक संख्यांक 15

[दि आंध्र प्रदेश रिआर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,
2014 का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह 29 मई, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

2014 का 6

2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में, "खम्माम (किंतु शा0आ0 एम.एस. सं0 111, सिंचाई और सी.ए.डी. (एल.ए.-IV-आर. एंड आर.-I) विभाग, तारीख 27 जून, 2005 में विनिर्दिष्ट मंडलों में के राजस्व ग्रामों और भुरगमपाडु मंडल में के भुरगमपाडु, सीतारामनगरम् और कोंडरेका के राजस्व ग्रामों को छोड़कर)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "खम्माम (किंतु कुकुनूर, वेलैरपाडु और भुरगमपाडु, किंतु इसके अंतर्गत पलवानचा राजस्व प्रभाग के अधीन उसके पिनापाका, मोरामपल्ली बंजार, भुरगामपाड, नागिनेनीपरोलू, कृष्णासागर, टेकुला, सरापका, इरावेंडी, मोथेपट्टीनगर, उप्पुसका, सोमपल्ली और नकरीपेटा राजस्व ग्राम नहीं हैं, मंडलों और चिंतुर, कुनावरम, वरारामचन्द्रपुरम और भद्राचलम, किंतु इसके अंतर्गत भद्राचलम राजस्व प्रभाग के अधीन भद्राचलम का राजस्व ग्राम सम्मिलित नही है, मंडलों को छोड़कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2014 का अध्यादेश 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 2014 का 6

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) आंध्र प्रदेश राज्य का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में पुनर्गठन करने का उपबंध करने के लिए तारीख 1 मार्च, 2014 को अधिनियमित किया गया था ।

2. आंध्र प्रदेश की उत्तरवर्ती राज्य सरकार को पोलावरम बहु प्रयोजनीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के पहलू को क्रियान्वित करने संबंधी क्षेत्रों की पहचान करने में लचीलापन रखने के लिए समर्थ बनाने तथा उन क्षेत्रों में, जो आंध्र प्रदेश का भाग हैं, संसक्ति को सुनिश्चित करने के लिए और प्रशासनिक सुविधा के लिए खम्माम जिले में, जिसमें कुछ राजस्व ग्राम निमग्न हो जाएंगे अथवा जिनकी पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए आवश्यकता होगी, समस्त मंडलों (प्रशासनिक इकाई) को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 का संशोधन करके उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को अंतरित किया जाना अपेक्षित था । क्षेत्रों के ऐसे अंतरण में खम्माम जिले के भद्राचलम नगर और भुरगमपाडु मंडल में के बारह राजस्व ग्रामों को, जिनसे होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-221 गुजरता है, अपवर्जित किया गया है, क्योंकि केवल यही राजमार्ग शेष तेलंगाना से भद्राचलम नगर तक पहुंच बनाने वाली सड़क है ।

3. वर्ष 1959 से पूर्व, सम्पूर्ण भद्राचलम राजस्व प्रभाग पूर्व गोदावरी जिले का भाग था । यह प्रशासनिक कारणों से खम्माम जिले को अंतरित किया गया था । अब केवल भद्राचलम राजस्व प्रभाग का एक भाग पोलावरम परियोजना की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश को अंतरित किया जा रहा है ।

4. सरकार का यह मत था कि नियत दिन अर्थात् 2 जून, 2014 से पूर्व, जिसको आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 प्रवृत्त होगा, दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के राज्यक्षेत्रों का पुनरीक्षण करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक था । राज्यक्षेत्रों का समायोजन न होने की स्थिति में राष्ट्रीय परियोजना के निष्पादन में और अधिक विलंब होने की संभावना थी । अतः, उन क्षेत्रों के, जिनके निमग्न होने की संभावना है, आंध्र प्रदेश के शेष राज्य में अंतरण के बारे में शीघ्र विनिश्चय किया जाना अपेक्षित था जिससे कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के मुद्दों को उस राज्य द्वारा समुचित रूप से निपटाया जा सके । अतः, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 4) तारीख 29 मई, 2014 को प्रख्यापित किया गया था ।

5. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 को प्रख्यापित करके आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 को संशोधित किया गया है । आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में किए गए संशोधनों की निरंतरता बनाए रखने के लिए अब उसके स्थान पर एक विधेयक अर्थात् आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।

6. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
10 जून, 2014

राजनाथ सिंह

उपाबंध

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 6) से उद्धरण

* * * * *

भाग 2

आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन

तेलंगाना राज्य का बनाया जाना ।

3. नियत दिन से ही एक नया राज्य बनाया जाएगा, जिसका नाम तेलंगाना राज्य होगा, जिसमें विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे, अर्थात् :--

आदिलाबाद, करीमनगर, मेडक, निजामाबाद, वारंगल, रंगारेड्डी, नालगोंडा, महबूबनगर, खम्माम (किंतु शा0आ0 एम.एस. सं0 111, सिंचाई और सी.ए.डी. (एल.ए.-IV-आर. एंड आर.-I) विभाग, तारीख 27 जून, 2005 में विनिर्दिष्ट मंडलों में के राजस्व ग्रामों और भुरगमपाडु मंडल में के भुरगमपाडु, सीतारामनगरम् और कोंडरेका के राजस्व ग्रामों को छोड़कर) और हैदराबाद जिले,

और तदुपरि उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के भाग नहीं रहेंगे ।

* * * * *

GMGIPMRND—483LS—11.06.2014.